

अंचल अधिकारी का न्यायालय, गोमिया (बोकारो)।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

झारखण्ड राज्य सरकार
बनाम

मादौ दुडू से अन्य

आदेश पत्रक ता०- 01/02/25 से तक
जिला- बोकारो केश सं०- 63/2024-25
केश का प्रकार- झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण।

आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
01/02/25	राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक अंचल कार्यालय, गोमिया के द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-दुधमों के खाता सं०-15, प्लॉट सं०-54/407, रकबा- 12.05 ए० भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है, जिसमें 1. भादौ दुडू पिता-लखीराम दुडू, 2. त्रिभुवन दुडू पिता- मिहिलाल दुडू, 3. धनीराम दुडू पिता-बाबूलाल दुडू, 4. लालजी मांझी, पिता- रूपन मांझी, 5. बिरसा दुडू पिता- श्यामलाल दुडू, ग्राम- दुधमों, थाना-चतरोचट्टी, जिला-बोकारो के द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है, जो झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 6(1)(e) के अंतर्गत सार्वजनिक भूमि है। अतः झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा-3 के तहत उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक- 24/02/25 को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, गोमिया	327 05/02/25 Notice

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
24.02.2025	अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी द्वारा हाजिरी दिया गया। उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित प्रस्तुत राजस्व कागजातों के अवलोकन के पश्चात् प्रथम दृष्टया यह अवैध जमाबंदी का मामला प्रतीत होता है। वर्णित परिस्थिति में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। साथ ही प्रतिवादियों के विरुद्ध BLR Act, 1950 की धारा 4(h) की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु संबंधित राजस्व उप निरीक्षक से प्रतिवेदन की माँग करें।  अंचल अधिकारी, गोमिया।	499/25 KC 08/02/25